

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 1999

संख्या सा.का.नि. 79/संवि. अनु. 309/99.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पर्यावरण विभाग (गुप-क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग-I—सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

- (i) ये नियम हरियाणा पर्यावरण विभाग, (गुप-क) सेवा नियम, 1999, कहे जा सकते हैं।
- (ii) ये राजपत्र में, उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे,—

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
- (ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
- (ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, पर्यावरण विभाग हरियाणा;
- (घ) "सरकार" से अभिप्राय: है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
- (ङ) "संस्था" से अभिप्राय: है;
 - (i) हरियाणा राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ—सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
- (च) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय: है,—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय, या
 - (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका का विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

- (छ) "सचिव" से अभिप्राय: है, सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग;
(ज) "सेवा" से अभिप्राय: है, हरियाणा पर्यावरण विभाग (ग्रुप क) सेवा।

भाग-II—सेवा में भर्ती

3. पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए गए पद होंगे: परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र :

(1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

- (क) भारत का नागरिक; या
(ख) नेपाल की प्रजा; या
(ग) भूटान की प्रजा; या
(घ) तिब्बत का शरणार्थी जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावा, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. आयु :

कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पूर्वगामी जनवरी के प्रथम दिन के या उससे पूर्व 25 वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो:

परन्तु—

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की दशा में आयु वह होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए, और

(ख) अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवारों की दशा में, जो सरकार की सेवा में पहले से ही लगे हैं, की दशा में ऊपर आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी।

6. नियुक्ति प्राधिकारी :

सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जायेंगी।

7. योग्यताएं :

कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप में विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की प्रयाप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. अयोग्यताएं :

कोई भी व्यक्ति, —

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीध विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. भर्ती के ढंग :

(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी:—

(क) संयुक्त निदेशक की की दशा में,—

(i) वैज्ञानिक ग्रेड-I में पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) वैज्ञानिक ग्रेड-1 की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, जब भी सेवा में कोई भी रिक्ति होती है अथवा होने वाली होती है तो नियुक्ति प्राधिकारी ढंग निर्धारित करेगा जिसके द्वारा ऐसी रिक्ति भरी जाएगी।

10. परिवीक्षा :

(1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि के रूप में गिनी जायेगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने की दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्टि किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह:—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
- (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसे अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें;
- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि थी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. ज्येष्ठता :

सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी :-

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिससे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवा काल के अनुसार और यदि ऐसा सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. सेवा करने का दायित्व :

(1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए, दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य का सेवा को लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण, राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले :

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई या उस समय लागू किसी तिथि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं।

14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

(1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे:

परन्तु ऐसी शक्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं ऐसी शक्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) 1987 नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है।

15. टीका लगवाना :

सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आवेदन द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा।

16. राजनिष्ठा की शपथ :

सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

17. ढील देने की शक्ति :

जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां यह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

18. विशेष उपबन्ध :

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा भर्ती लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

19. आरक्षण :

इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का, व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. निरसन तथा व्यावृत्ति :

सेवा को लागू कोई नियम और इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क
[देखिए नियम 3]

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	संयुक्त निदेशक	-	1	1	4,100-125-4,850-150-5,300 रुपये
2.	वैज्ञानिक ग्रेड-1	-	3	3	3,000-100-3,500-125-5,000 रुपये

परिशिष्ट ख
[देखिए नियम 7]

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अहर्ताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	संयुक्त निदेशक		पदोन्नति द्वारा : वैज्ञानिक ग्रेड-1 के रूप में 8 वर्ष का अनुभव स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) अधीक्षक अभियन्ता के समकक्ष कोई अधिकारी; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
2.	वैज्ञानिक ग्रेड-1	(i) कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित बाटनी/जूलोजी/माइक्रोबायोलोजी/रसायन/जीव रसायन/पर्यावरण विज्ञान में एम.एस.सी. सहित आठ वर्ष का अनुभव जिसमें पर्यावरण	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) बाटनी/जूलोजी/माइक्रोबायोलोजी/रसायन/जीव रसायन/पर्यावरण विज्ञान में एम.एस.सी. सहित सात वर्ष का अनुभव जिसमें से पर्यावरण प्रबन्ध में तीन वर्ष तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित

1	2	3	4
	<p>प्रबन्ध में पांच वर्ष का अनुभव शामिल हो; या</p> <p>बाटनी/जूलोजी/माइक्रोबायोलोजी/रसायन/जीव रसायन/पर्यावरण विज्ञान में पी.एच.डी. सहित पर्यावरण प्रबन्ध में पांच वर्ष का अनुभव;</p>		<p>किसी क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव होना चाहिए; या</p> <p>बाटनी/जूलोजी/माइक्रोबायोलोजी/रसायन/जीव रसायन/पर्यावरण विज्ञान में पी.एच.डी सहित सात वर्ष का अनुभव जिसमें से पर्यावरण प्रबन्ध में तीन वर्ष और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित किसी क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव होना चाहिए;</p>
	<p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी;</p> <p>या</p>		<p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी;</p> <p>या</p>
	<p>(i) कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित रसायन इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग/पर्यावरण इंजीनियरिंग/जनस्वास्थ्य इंजीनियरिंग में उपाधि सहित पांच वर्ष का अनुभव जिसमें से पर्यावरण प्रबन्ध में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए;</p>		<p>(i) कैमिकल इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग/पर्यावरण इंजीनियरिंग / जनस्वास्थ्य इंजीनियरिंग में उपाधि सहित सात वर्ष का अनुभव जिसमें से पर्यावरण प्रबन्ध में तीन वर्ष तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित किसी क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव होना चाहिए;</p>
	<p>(ii) पर्यावरण प्रबन्ध में पांच वर्ष के अनुभव सहित उपरोक्त विषयों में मास्टर उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जाएगा।</p>		<p>(ii) पर्यावरण प्रबन्ध में पांच वर्ष के अनुभव सहित उपरोक्त विषयों में मास्टर उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जाएगा;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।</p>

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6

लघु शास्तियां :

- | | | | | |
|----------------------|-------|---|------|-------|
| 1. संयुक्त निदेशक | सरकार | (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण-पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; | सचिव | सरकार |
| 2. वैज्ञानिक ग्रेड-I | | (ii) परिनिन्दा; | | |
| | | (iii) पदोन्नति रोकना; | | |
| | | (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या किसी कम्पनी तथा संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है; या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली; | | |
| | | (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना; | | |

बड़ी शास्तियां :

- | | | |
|---|-------|---|
| (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना; | सरकार | — |
| (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी | | |

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां, स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं;

(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, अथवा सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा;

(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;

(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;

(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	संयुक्त निदेशक	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय साधारण/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	सरकार	सरकार
2.	वैज्ञानिक ग्रेड-I	(ii) उसकी अधिवार्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा, नियुक्ति की समाप्ति।		

एम० एल० तायल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
ENVIRONMENT DEPARTMENT

Notification

The 26th May, 1999

No. G.S.R. 79 /Const./Art.309/99.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Environment Department (Group A) Service, namely :--

PART I--GENERAL

Short title and Commencement :

1.(1) These rules may be called the Haryana Environment Department (Group A) Service Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions :

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—
- (a) "Commission" means Haryana Public Service Commission;
 - (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
 - (c) "Director" means the Director, Environment, Haryana;
 - (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
 - (e) "institution" means--
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

- (f) "recognised university" means--
- (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) in case of a degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or
 - (iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;
- (g) "Secretary" means Secretary to Government, Haryana, Environment Department;
- (h) "Service" means the Haryana Environment (Group A) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts :

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules;

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service :

4.(1) No person shall be appointed to any post in the Service unless he is,--

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East

African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the University, College, School or institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age :

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than twenty five years or more than thirty five years of age on or before the first day of January immediately preceding the last date of submission of application to the Commission:

Provided that,--

- (a) in the case of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, other Backward Classes and Ex-servicemen and Physically Handicapped candidates, the upper age limit shall be such as may be fixed by the Government from time to time; and
- (b) in the case of candidates possessing the requisite qualifications who are already in the service of the Government, the upper age limit shall be 45 years.

Appointing authority :

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications :

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment.

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped categories possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for doing so in writing.

Disqualifications :

8. No person,--

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall not be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment :

9.(1) Recruitment to the Service shall be made,--

(a) in the case of Joint Director;--

(i) by promotion from Scientist Grade-I; or

(ii) by transfer or deputation of any officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(b) in the case of Scientist Grade-I,--

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an Officer/official already in the service of any State Government or Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on the seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) Unless otherwise provided, when any vacancy occurs or is about to occur in the Service, the appointing authority shall determine the method by which such vacancy shall be filled in.

Probation :

10.(1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that,--

- (a) any period after, such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

(a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,--

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if this work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,--

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

11. Seniority, inter se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadre in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :--

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer,
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to members, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to Serve :

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve as under :--

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or University within the State of Haryana; or
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve under the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters :

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rule and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals :

14.(1) In the matters relating to discipline, penalties and appeals, member of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The Authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) and rule 9 of Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination :

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions :

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations :

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and savings :

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

ise
vil
ate

elf
so

ly
to

S
S
2

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of Posts	Number of Posts		Total	Scale of Pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1	Joint Director	--	1	1	Rs. 4100-125-4850-150-5300
2	Scientist Grade-I	--	3	3	Rs. 3000-100-3500-125-5000

APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation	Academic qualifications and experience if any, for direct recruitment	Academic qualifications, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Joint Director	--	<p>By Promotion:</p> <p>8 years experience as Scientist Grade-I.</p> <p>By transfer or deputation:</p> <p>(i) An officer equivalent to the rank of Superintending Engineer;</p> <p>(ii) Hindi upto Matric standard.</p>
2	Scientist Grade-I	<p>(i) M.Sc. Botany/Zoology/Microbiology/Chemistry/Bio Chemistry/Environmental Science with minimum 60 per cent marks with 8 years experience, out of which five years should be in Environment Management; or Ph.D. in Botany/Zoology/Micro-biology/Chemistry/Bio-Chemistry/Environment Sciences with 5 years experience in Environment Management;</p> <p>(ii) Hindi upto Matric standard.</p>	<p>(i) M.Sc. Botany/Zoology/Micro-biology/Chemistry/Bio-Chemistry/Environmental Science with 7 years experience, out of which 3 years in Environment Management and 4 years in any field related to Pollution Control ; or</p> <p>Ph.D. in Botany/Zoology/Micro-biology/Chemistry/Bio-Chemistry/Environmental Science with 7 years experience out of which 3 years in Environment Management and 4 years in any field related to Pollution Control;</p> <p>(ii) Hindi upto Matric standard.</p>
		OR	OR
	(i) Degree in Chemical Engineering	(i) Degree in Chemical engineering/Civil	(i) Degree in Chemical Engineering/civil Engineering/Environmental

1	2	3	4
<p>Engineering/Environmental Engineering/ Public Health Engineering with 60 per cent marks with 5 years experience, out of which 3 years should be in Environment Management ;</p>	<p>Preference will be given to the candidates having Master's Degree in the above disciplines with 5 years experience in Environment Management.</p>	<p>Engineering/Public Health Engineering with 7 years experience, out of which 3 years in Environment Management and 4 years in any field related to Pollution Control.</p>	<p>Preference will be given to candidates having Master's Degree in the above discipline with experience in Environment Management.</p>
<p>(ii) Hindi up to Matric standard.</p>	<p>(ii) Hindi up to Matric standard.</p>		

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Sr. No.	Designation No. of Posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Joint Director	Government	Minor Penalties : (i) warning with a copy in the personal file (Character roll); (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set-up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and (v) withholding of increment of pay without cumulative effect.	Secretary	Government
2	Scientist Grade-I				
			Major Penalties : (vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;	Government	

1	2	3	4	5	6
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;	Secretary	Government
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employees was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;		
			(ix) compulsory retirement;		
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;		
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Government.		

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA), JULY 3, 1999 2755(327)
(ASAR 12, 1921 SAKA)

APPENDIX D
[[See rule 14(2)]]

Sr. No.	Designation of posts	Name of Order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Joint Director	(i) reduction or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government	Government
2	Scientist Grade-I	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation		

M.L. TAYAL,

Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Environment Department.